

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) बिहार में इन परियोजनाओं के लिए 1993-94 में 54 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है । यह राशि कुल आवंटन का 4.3 प्रतिशत है ।

(ङ) जी हाँ ।

(च) बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे के कर्पूरीग्राम-सिहो खंड का दोहरीकरण 1993-94 के बजट में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है । 26.16 कि.मी. लम्बी इस दोहरी लाइन के बिछाने पर 23.61 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसके तीन वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है ।

बलसाढ़ से बडौदा के बीच ई. एम.

यू. रेल सेवा

4303. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बलसाढ़ से बडौदा के बीच ई.एम.यू. रेल सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पश्चिम रेलवे ने हाल ही में बिरार-बडोदरा-अहमदाबाद के बीच ई. एम.यू. किस्म की सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित लाइन क्षमता और सुविधाओं की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण पूरा किया है । सर्वेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण कर लेने के बाद और वित्तीय संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जा सकता है ।

दिल्ली से पटना तथा बरौनी के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी शयनयान

4304. श्री कामेश्वर पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली से पटना तथा बरौनी के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के शयनयानों में आरक्षण के साथ यात्रा करने वाले रेल यात्रियों की यात्रा कष्ट कर होती जा रही है जिसका एक कारण ऐसे डिब्बों में बड़ी संख्या में सामान्य यात्रियों का घुस जाना है ;

(ख) यदि हाँ, तो शयनयानों में आरक्षण के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिये रेल विभाग ने क्या उपाय किये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश डिब्बों में टिकटों की जाँच करने अथवा

बकाया राशि वसूल करने के लिये टी० टी०आई० नहीं आते;

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय करने जा रही है; और

(ङ) क्या रेल विभाग लंबी दूरी की विशेषकर बिहार से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों में तैनात थ्रष्ट रेल कर्मियों को पकड़ने के लिये विशेष दस्तों के माध्यम से आकस्मिक निरीक्षण करने का विचार रखता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) आरक्षित डिब्बों में कम दूरी अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश करने के कुछ मामले जानकारी में आये हैं।

(ख) रा० रे० पु०। रे० सु० व० की सहायता से अचानक जांचें की जानी हैं और आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करते हुये पाये गये अनधिकृत यात्रियों को गाड़ी से उतार दिया जाता है और भारतीय रेल अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उन पर जुर्माना किया जाता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। लेकिन, बीमारी आदि के कारण अंतिम क्षण में कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण कमी-कभार सवारी डिब्बों में कर्मचारी तैनात नहीं रहते, संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है जहां उन्हें उनके कार्य निष्पादन में कोताही बरतते हुये पाया जाता है।

(ङ) अनियमितताओं में सलिलप्त कर्मचारियों को पकड़ने के लिये वाणि-ज्यिक और सतर्कता विभाग के विशेष दस्तों द्वारा समय-समय पर अचानक जांचें पहले ही से की जा रही हैं।

Appointment of Consultants in the Railway Board

4305. SHRI SIBTEY RAZI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether some consultants have been appointed in the Railway Board's Office;

(b) whether all such Consultants are retired persons;

(c) if so, the number of such Consultants with salary and other facilities being allowed to each;

(d) what is the tenure of each Consultant with nature of work assigned to each official;

(e) whether such appointments are in violation of economy drive;

(f) whether Government propose to abolish such superfluous posts; and

(g) if so, the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF):

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) A statement is attached. (See below)

(e) to (g) No, Sir. The Consultants are appointed in administrative interest for specific work and no creation of post is involved.